प्रॉपर डिस्क्लोजर एवं रिपोर्टिंग नहीं होने पर नोटिस के साथ लग सकता है जुर्माना

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज का ऑडिट एक गंभीर विषय

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 7879619664

जवाबदारी मैनेजमेंट की

टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसो. एवं इंदौर सीए शाखा ने 'कॉमन मिस्टेक्स इन प्रसेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी' विषय पर शुक्रवार को टीपीए हॉल में एक सेमिनार किया, जिसमें सेशन चेयरमैन आईसीएआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए मनोज फडनिस एवं स्पीकर सीए अभिषेक गांग थे।

टीपीए प्रेसिडेंट सीए जेपी सराफ ने बताया कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स के कारण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवं ऑडिट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में अब पहले से ज्यादा सावधानियां रखनी होती हैं। ऐसे कई बिंदु हैं, जिनमें ऑडिटर के रूप में हम जाने-अनजाने गलतियां कर जाते हैं एवं हमें आरओसी एवं अन्य नियामक संस्थानों से नोटिस का सामना करना पड़ता है। टीपीए के मानद सचिव सीए अभय शर्मा ने बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर का 90% रिप्रजेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज करती हैं। सरकार और रेग्यूलेटर्स ने फाइनेंशियल अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, नोट्स टू द अकाउंट्स सहित पूरी रिपोर्टिंग्स में सख्त डिस्क्लोजर नॉर्म्स लागू कर रखे हैं। आरओसी का सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर अब कंपनीज के रिटर्न एआई, सॉफ्टवेयर एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की टीम के द्वारा प्रोसेस कर रहा है।

सीए अभिषेक गांग ने बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जवाबदारी मैनेजमेंट की होती है; ऑडिटर सिर्फ उसे वेरिफाई करता है तथा उस पर अपनी रिपोर्ट देना होती है। बढ़ते कपम्प्लायन्स, रेग्यूलेटरी रिक्वायरमेंट्स एवं नियमों के कारण व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं होता है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर सके। यहां ऑडिटर्स की दोहरी भूमिका हो जाती है। उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से लेकर ऑडिट तक की सेवाएं देनी होती हैं, जो कि सिद्धांततः सही नहीं हैं। मेकर एंड चेकर रूल को फॉलो करते हुए जहां मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में असमर्थ होता है तो उसे ऑडिटर के स्थान पर अन्य सीए की सेवाएं लेनी चाहिए।

'बड़ी सोच वालों को साथ रखो, आप भी बड़ा बन जाओगे'

इंदौर। आईपीएस अकादमी इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस, इंदौर में ब्रेक डाउन एनालिसिस एंड डिस्कशन का आयोजन हुआ। इस इवेंट में कई कंपनियों के सीईओ फाउंडर और को-फाउंडर ने शिरकत की। इस इवेंट में इंजीनियरिंग कॉलेज के लगभग 300 छात्रों ने भाग लिया। इवेंट का उद्देश्य इंजीनियरिंग के छात्रों को कॉर्पोरेट माहौल से अवगत करना था। इस इवेंट में शिरकत करने आए कंपनी के फॉउण्डरों ने बच्चो को खुद की कंपनी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। बिजनेस डॉट इन के सीईओ सार्थक मित्तल ने बताया कि एक सफल एंटरप्रेन्योर के पीछे उनके माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्होंने बताया कि हम इंडियन में प्रजेंटेशन को ज्यादा एहमियत नहीं देते हैं। इसका फायदा विदेशी लोग उठाते हैं। प्रथम साहू ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखकर ये मुकाम हासिल किया है। उनका मानना है कि आप अपने आपको बड़ी सोच वालों के ग्रुप में रखेंगे तो अपने आप बड़े हो जाएंगे। फर्री फ्रेंड्स अलायन्स के फाउंडर सिद्धांत शर्मा ने बच्चो को जॉब-बिजनेस पर प्रकाश डाला।

बिजली कंपनी के एमडी तोमर ने बरसते पानी में किया निरीक्षण

इंदौर। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक (एमडी) अमित तोमर ने शुक्रवार को रतलाम जिले का दौरा किया। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था, मानसून सत्र के मैंटेनेंस की गतिविधियों, समय पर तय लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण, नए कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समय पालन के साथ करने, सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के समय पर समाधान, कंपनी के ऊर्जा एप व पोर्टल पर आए आवेदनों का समय सीमा में समाधान करने, पीएम सूर्य घर योजना के आवेदनों के तत्काल मंजूरी इत्यादि विषयों पर अधिकारियों को निर्देश दिए। एमडी तोमर ने बरसते पानी में नए विकास कार्यों को देखा एवं उपभोक्ता सुविधाओं में वृद्धि संबंधित जानकारी भी ली।

केंद्रीय वित्तमंत्री ने की प. मध्यक्षेत्र ग्रामीण बैंकों की समीक्षा

इंदौर। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में पश्चिम-मध्यक्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष एवं उनके प्रायोजित बैंकों के सीईओ के साथ उदयपुर में 22 अगस्त को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, जो मध्यप्रदेश के 40 जिलों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा हैं, के प्रधान कार्यालय, इंदौर से बैंक अध्यक्ष आरसी बेहेरा भी शमिल हुए। बैठक में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू, अपर सचिव एमपी तंगिराला सहित नाबार्ड के चेयरमैन शाजी केवी, आरबीआई के कार्यपालक निदेशक जयंतकुमार दास भी उपस्थित हुए। बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमन ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमा व्यवसाय को बढ़ाने, पशु क्रेडिट कार्ड, कृषि संबंधी अग्रिम में वृद्धि, प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में वृद्धि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनांतर्गत नवीन वित्तपोषण सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रत्येक वर्ग तक लाभ पहुंचाने पर चर्चा की गई तथा बैंकिंग क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से निबटने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने पर चर्चा की गई।

एक घंटे के लिए पधारेंगे धीरेन्द्र शास्त्री

इंदौर। शहर के बायपास स्थित श्रीजी वैली बिचौली मर्दाना में 23 अगस्त से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक चेतन शिवहरे ने बताया कि कथा में मुख्य अतिथि धीरेन्द्र शास्त्री (बागेश्वर धाम) रहेंगे। कथा के दौरान किसी भी दिन धीरेन्द्र शास्त्री एक घंटे के लिए पहुंचेंगे, जिसकी सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी।

नाम, जन्मतिथि एवं पता परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सागर सुरेश वाघ **(SAGAR SURESH WAGH)** था, जिसे बदलकर मैंने अपना नाम **(WAGH SAGAR SURESH)** वाघ सागर सुरेश कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे, इसी प्रकार मेरी जन्म तारीख पूर्व में 15-11-1991 थी जिसे 12-06-1991 मानी जावे तथा पूर्व में मेरा पता एट गडखंब ताल, अमलनेर, जलगांव (महाराष्ट्र) पिन 425401 था जो अब बदलकर एलआयजी-13, 13 चिनार लेक व्यू कॉलोनी, महूगांव, महू जिला इंदौर हो गया है, अतः इसे ही मेरा नया पता माना जावे।

WAGH SAGAR SURESH
S/O SURESH BHIKA WAGH
ADDRESS- LIG-13, 13 CHINAR LAKE VIEW COLONY, MHOWGAON, MHOW, INDORE (M.P.) 453441

CHANGE IN NAME

I, **Deepak Gopal Chand** here by declare that I have changed my name as **Deepak Chouhan.** so, from now and in future I will be known by my new name **Deepak Chouhan.**

Deepak Chouhan S/o Gopal Chand
R/O-2204, Luniyapura, Mhow, Distt. Indore, Madhya Pradesh, Pin Code-453441

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि पूर्व में मेरा नाम **SANJAY JAIN AKA GHATE (संजय जैन अका घाटे)** था, जिसे बदलकर मैंने अपना नाम **SANJAY JAIN (संजय जैन)** कर लिया है, अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

SANJAY JAIN
ADDRESS- B- 803, TIARA RESIDENCE, HALKA NO. 25, MAYANK BLUE WATER PARK ROAD, BICHOLI HAPSI, INDORE (M.P.) 452016

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मिश्रा बिल्डर्स धार नाका महू जिला इन्दौर पंजीयन क्रमांक 447/1986-87 दिनांक 18.06.1986 पर पंजीकृत है। फर्म में पंजीयन के समय राजेन्द्र शंकर मिश्रा, श्रीमती शशि मिश्रा, श्रीमती प्रेमलता मिश्रा, आर.एल. पाठक योगेन्द्र मिश्रा, श्रीमती शोभा मिश्रा एवं कुमारी निशा भागीदार थे। उक्त फर्म के कार्यकाल में परिवर्तन दिनांक 15.03.1993 को फर्म का हिसाब 30 के परिवर्तन कर 31 मार्च से आगामी वर्ष के लिये किया गया है। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 28.11.1999 को राजेन्द्र शंकर मिश्रा मृत्यु होने के कारण फर्म के भागीदारी से स्वतः पृथक हो गये तथा दिनांक 29.11.1999 को श्री आर.एल. पाठक, श्रीमती शोभा मिश्रा व श्रीमती निशा फर्म के भागीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये। उक्त दिनांक 29.11.1999 को श्रीमती तारादेवी फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 01.04.2012 को श्रीमती प्रेमलता मिश्रा स्वेच्छा से पृथक हो गई। उक्त दिनांक 01.04.2012 को श्रीमती सुरेन्द्र शंकर मिश्रा को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया। फर्म विलेख दिनांक 21.03.2016 को कोई बदला नहीं किया गया। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 31. 07.2017 को तपन सिंघल, देवेश पाहवा व धवल मारूजीजा को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया । उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 01.04.2018 को देवेश पाहवा, फर्म के भागीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 03.07.2024 को श्रीमती तारादेवी, श्रीमती शशि मिश्रा, श्री सुरेन्द्र शंकर मिश्रा, श्री योगेन्द्र मिश्रा फर्म के भागीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये। वर्तमान में फर्म में श्री तपन सिंघल व श्री धवल मखीजा भागीदार है। फर्म के भागीदारों के मध्यम कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है। सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 03.07.2024 को फर्म के कार्यालय पता धारनाका महू से परिवर्तन कर गार्डन नं. 106, लुनियापुरा महू तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, महू जिला इन्दौर म.प्र. 453441 रहेगा।

प्रार्थी
भागीदार
तपन सिंघल
फर्म मेसर्स मिश्रा बिल्डर्स धार नाका महू जिला इन्दौर

Piramal Finance
पंजीकृत कार्यालय पता: यूनिट नं.601, 6टी मंजिल, पीरामल एमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगरस्वा कार्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम) मुम्बई-400070.
CIN:L65910MH1984PLC032639 web side : www.piramalfinance.com
शाखा कार्यालय: धीरज बाग बिल्डिंग ''ए'' ग्राउंड एवं प्रथम मंजिल, एक्सिस बैंक के पास, मोनालिसा बिल्डिंग के सामने, आगरा रोड, हरि निवास सर्कल, नीपाड़ा, ठाणे (पश्चिम)-400602.

मांग पत्र

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत अधिनियम, 2002 को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पढ़ा गया अधोहस्ताक्षरी पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीसीएचएफएल) का अधिकृत अधिकारी है वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है। निम्नलिखित ऋणी ("उक्त ऋणी"), उन्हें जारी की गई संबंधित मांग नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए, जो नीचे भी दी गई हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर पीसीएचएफएल को भुगतान करने के लिए, नीचे दी गई राशि के साथ-साथ उक्त में दिए गए विवरण के अनुसार अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करें। डिमांड नोटिस (सूचनाएं), नीचे उल्लिखित तारीख (तारीखों) से भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, ऋण समझौते के तहत देय अन्य दस्तावेजों / लेखों के साथ, यदि कोई हो, उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किया गया है। ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित संपत्तियां उक्त ऋणी द्वारा क्रमशः पीसीएचएफएल को गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	ऋणी(यों)/गारंटर(रों) का नाम	मांग सूचना एनपीए तिथि के साथ दिनांक और राशि	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(इंदौर शाखा का एलसी क्रमांक 00800007373) राजेंद्र चौहान (उधारकर्ता) मनोहर लाल चौहान (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/ रु. 3,77,785/- (रु. तीन लाख सतहत्तर हजार सात सौ पचासी मात्र) एनपीए (08-06-2023)	प्लॉट नं.49, साईं श्रद्धा पैलेस, ग्राम गुर्जरखेड़े, महू इंदौर मध्य प्रदेश :- 453441
2.	(इंदौर शाखा का एलसी क्रमांक 00800008713) मनीष शोधे (उधारकर्ता) कीर्ति शोधे (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/ रु. 4,96,008/- (रु. चार लाख छियानबे हजार आठ मात्र) एनपीए (10-07-2024)	फ्लैट नं. 307, तृतीय तल, शहनाई रेसीडेंसी, प्लॉट नं.3, एस.आर. एच.आई.जी जवाहर नगर, महू महू इंदौर मध्य प्रदेश :- 453441
3.	(जबलपुर शाखा का एलसी क्रमांक 08200002443) विनोद कुमार सेन (उधारकर्ता) बिभा सैन (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/ रु. 15,34,434/- (रु. पंद्रह लाख चौंतीस हजार चार सौ चौंतीस मात्र) एनपीए (09-06-2024)	प्लॉट नं.216, ख. नं.326, 329/2, 334/2, 346/1 पी.एच. नंबर 23/17, एन.बी.505, वैतन्य सिटी पीएच-1 मौजा काजरवारा जबलपुर जबलपुर मध्य प्रदेश:- 482020
4.	(इंदौर शाखा का एलसी क्रमांक 00800013536) महेंद्र खत्री (उधारकर्ता) निशा खत्री (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/ रु. 1,93,447/- (एक लाख तिरानबे हजार चार सौ सैंतालीस मात्र) एनपीए (11-03-2023)	फ्लैट नंबर 102, प्लॉट नंबर 523-ए-सेक- ए अमन क्लासिक महालक्ष्मी नगर, जैन मंदिर के पास तह और जिला - इंदौर इंदौर मध्य प्रदेश:- 452002
5.	(खरगोन शाखा का एलसी क्रमांक 03700001258) दुर्गा साकरे (उधारकर्ता) यश साकरे (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/ 6,49,919/- (रु. छह लाख उनचास हजार नौ सौ उन्नीस मात्र) एनपीए (08-08-2023)	खसरा नंबर- 26/1 से 26/4, पी.एच. नंबर- 46 प्लॉट नंबर का हिस्सा- 162, बरसाना टाउनशिप कॉलोनी खरगोन खरगोन मध्य प्रदेश: 451001
6.	(सीबीआई भोपाल जेएनटी सिंड शाखा का एलसी क्रमांक 13400003456) जमना प्रसाद (उधारकर्ता) सावित्री अहिरवार (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/ 19,73,289/- (रु. उन्नीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ नवासी मात्र) एनपीए (04-01-2020)	प्लॉट नंबर 143, गोकुल धाम परिसर ग्राम गैरतगंज, पीएच नंबर 18/30 वार्ड नंबर 12, रायसेन विदिशा रायसेन मध्य प्रदेश:- 464884
7.	(इंदौर- रॉयल गोल्ड कॉम्प्लेक्स शाखा का एलसी नंबर 20900042548) मोहन अहिरवाल (उधारकर्ता) मंजू अहिरवाल (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/ 2,88,060/- (दो लाख अट्ठासी हजार साठ रुपये मात्र) एनपीए (10-05-2024)	प्लॉट नंबर 339 का पूर्वी हिस्सा गंगा नगर, देवास, देवास देवास मध्य प्रदेश: 4550 01
8.	(जबलपुर शाखा का एलसी नंबर HLSA00062A31) अनित दुबे (उधारकर्ता) आयुष दुबे (सह-उधारकर्ता 1) साधना दुबे (सह-उधारकर्ता 2)	25-07-2024/ 23,13,746/- (रु. तेईस लाख तेरह हजार सात सौ छियालीस मात्र) एनपीए (04-07-2024)	मौजा पुरवा एन बी 162, पी एच नंबर 32, पुराना 07, नया हल्का पुरवा आर एन एम जबलपुर, खसरा नंबर 11 1 और खसरा नंबर 11 1 3, निजी लेआउट प्लॉट नंबर 120 बी, शासकीय मिडिल स्कूल मंदिया महाराणा प्रताप वार्ड 16 तहसील गोरखपुर और जिला जबलपुर मध्य प्रदेश- 482003
9.	(रीवा शाखा का एलसी नंबर HLSA0005E0EF) वीरेंद्र सिंह सोलंकी (उधारकर्ता) रेणु सिंह सोलंकी (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/ रु. 32,31,564/- (रु. बतीस लाख इकतीस हजार पांच सौ चौसठ मात्र) एनपीए (04-07-2024)	मकान नंबर सी 105, का हिस्सा खसरा नंबर 1433 1, वार्ड नंबर 10, श्री जी गुंदावन ग्राम अनंतपुर 1433/1 तहसील हुजूर जिला रीवा-486003, मध्य प्रदेश
10.	(भोपाल शाखा का एलसी नंबर HLSA00061A23) पुष्पा कोरी (उधारकर्ता) मोहन कुमार (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/ रु. 9,71,878/- (रु. नौ लाख इकहत्तर हजार आठ सौ अठहत्तर मात्र) एनपीए (04-07-2024)	एक आवासीय फ्लैट नंबर ईडब्ल्यूएस 31/201, गौरव नगर की एमपीएचबी योजना, ग्राम बैरागढ़ चिंचली फ्लैट नंबर 31/201, कोलार रोडम तहसील हुजूर, भोपाल-462001, मध्य प्रदेश।
11.	(इटारसी शाखा का एलसी नंबर HLSA0070B67) लक्ष्मी मंडल (उधारकर्ता) अमित कुमार सोनी (सह-उधारकर्ता 1)	25-07-2024/ रु. 16,75,945/- (रु. सोलह लाख पचहत्तर हजार नौ सौ पैंतालीस मात्र) एनपीए (04-07-2024)	प्लॉट नंबर 2/67, खसरा नंबर 99/1 का हिस्सा, शीट नंबर 42, प्लॉट नंबर 2/1, पी. एम. नंबर 09, मौजा मेहरागांव वार्ड नंबर 14, दशमेश कॉलोनी, सूरजगंज, इटारसी, होशंगाबाद- 461111, मध्य प्रदेश।

यदि उक्त उधारकर्ता उपरोक्त के रूप में पीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो पीसीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ पूरी तरह से लागत और परिणामों के रूप में उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर आगे बढ़ेगा। अधिनियम के तहत उक्त उधारकर्ताओं को पीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से, उक्त संपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और / या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक: 18-07-2024
स्थान: मध्यप्रदेश
हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी)
पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

kotak कोटक महिन्द्रा बैंक लि. — ई- नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी27, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा(ई), मुम्बई-400 051(महा.)
कार्पोरेट कार्यालय: कोटक इनफिनिटी, जोन-II, चौथी मंजिल, बिल्डिंग नं. 21, इनफिनिटी पार्क, डब्ल्यू.ई. हाइवे, गोरेगांव, मुम्बई-400 097 (महा.)
शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, पांचवी मंजिल, मेट्रो टॉवर, विजय नगर, इंदौर म.प्र.-452001

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को गिरवी रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी** द्वारा दिनांक 23.01.2024 को लिया गया है। जिसे **''जैसा है जहां है'', ''और ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा, अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार, मे. सी1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यानि www.c1india.com के वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन जमा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

ऋणकर्ता(ओ) /ग्यारंटर(रो)/ मार्टगेजर (रो) का नाम	मांग पत्र दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	अचल संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि
नकद ऋण सुविधा ऋण खाता सं. सीआरएन सं. 78089869) ऋण खाता सं. 9811452381 और सावधि ऋण सुविधा ऋण खाता सं. सीआरएन 78089869 ऋण खाता सं. 5915TL0100000067 1. मेसर्स एमएमबी जूट उद्योग अपने एकमात्र मालिक श्री प्रेम रतन बोथरा के माध्यम से 23, 24 मुराई मोहल्ला, छावनी ग्रेन हाउस फ्लैट सं. 204-205, दूसरी मंजिल शीतल गजक के सामने इंदौर -452001 (उधारकर्ता) इसके अलावा: पता: फ्लैट सं. 101, एनआरके विला 22/2 मनोरमागंज, इंदौर एमपी 452001 2. श्री नवरतन कुमार बोथरा पुत्र श्री प्रेम मगन लाल बोथरा पता: 165 विद्या नगर, सुखधाम अपार्टमेंट फ्लैट सं 102, सपना संगीता रोड के पीछे, इंदौर एमपी 452001 3. श्रीमती प्रीति बोथरा पति श्री प्रेम रतन बोथरा का पता: फ्लैट नंबर 101, एनआरके विला 22/2 मनोरमागंज, इंदौर एमपी 452001 (सह-उधारकर्ता/ गारंटर)	डिमांड नोटिस दिनांक 10-08-2021, रु.3,36,23,824.45/- (तीन करोड़ छत्तीस लाख तेईस हजार आठ सौ चौबीस और पैंतालीस पैसे मात्र) 9-8-21 पर	1.संपत्ति का वह टुकड़ा जो औद्योगिक भूमि है, जिसका माप 1789.96 वर्ग मीटर (प्लॉट क्षेत्र) है, पटवारी हल्का नंबर 62 (पुराना नंबर 26) पर है और भूमि राजस्व डायवर्टेड सर्वे नंबर 211/1 पाइक, ग्राम पालदा, वार्ड नंबर 75, इंदौर (म.प्र.) के पास है, सुधार के साथ। पूर्व: सड़क, पश्चिम: सड़क और भूमि क्रमांक आरएस क्रमांक 211/1 पाईकी, उत्तर: सड़क और भूमि क्रमांक आरएस क्रमांक 211/3 पाईकी दक्षिण: सड़क और भूमि क्रमांक आरएस क्रमांक 311/1 और 311/2 2.संपत्ति का वह टुकड़ा और पार्सल जो औद्योगिक भूमि है, जिसका माप 189.68 वर्ग मीटर (प्लॉट क्षेत्र) पटवारी हल्का क्रमांक 62 (पुराना क्रमांक 26) पर है और भूमि राजस्व डायवर्टेड सर्वे क्रमांक 311/1 & 311/2 पाईकी ग्राम पालदा वार्ड क्रमांक 75, इंदौर (म.प्र.) के पास है, सुधार के साथ पूर्व: अन्य कारखाने, पश्चिम: आरएस क्रमांक 311/1 और 311/2 की शेष भूमि, उत्तर: आरएस क्रमांक 211/3 पाईकी की भूमि, दक्षिण: टाइल्स का कारखाना	रु. 5,50,59,750/- (पांच करोड़ पचास लाख उनसाठ हजार सात सौ पचास रुपये मात्र)	रु. 55,05,975/- (पचपन लाख पांच हजार नौ सौ पचहत्तर रुपये)	04/09/2024 11:00 बजे — 12:00 बजे नीलामी की तिथि/समय 13/09/2024 11:00 बजे — 12:00 बजे

बोली वृद्धि राशि 5,00,000/- प्रस्ताव / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: - 12/09/2024 शाम 5.00 बजे तक

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें:
(1) नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** की वेबसाइट देख सकते हैं यानी **https://www.bankeauctions.com** ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण और बोली प्रपत्र जो आनलाईन जमा किया जाएगा। (2) सभी इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मुफ्त में जेनरेट करना होगा। पूर्वोक्त तिथि और समय पर ; (3) ई-नीलामी पर किसी भी पूछताछ, सूचना, समर्थन, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार **मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभाग से श्री धारानी कृष्णा मोबाइल नंबर: 9948182222 और ई-मेल आईडी: mpcg@c1india.com और support@bankeauctions.com** से संपर्क कर सकते है। (4) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाता ऊपर वर्णित या पूर्व नियुक्ति के साथ किसी अन्य तिथि और समय पर संपत्ति और उसके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते है और उन्हें ई-नीलामी पर अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकार पर भार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन केएमबीएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे **केएमबीएल** को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को वेब पोर्टल (**https://www.bankeauctions.com**) पर ब्याज मुक्त वापसी योग्य बयाना जमा (ईएमडी) के भुगतान का विवरण जमा/अपलोड करना होगा। इन्दौर में देय 'कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास के पते के प्रमाण, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ जैसा की ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। (5) अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी जो ई-नीलामी में सफल नहीं हुए, उन्हें केएमबीएल द्वारा ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नही होगा। (6) सफल क्रेता/बोलीदाता को क्रय प्रतिफल की शेष राशि प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार द्वारा उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति की 'बिक्री की पुष्टि' की तारीख से पंद्रहवें (15वें) दिन या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने विवेक पर लिखित रूप में सहमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर देय होगी। चूक की स्थिति में, तब तक जमा की गई सभी राशियां जब्त हो जाएंगी; (7) सफल बोलीदाता पैन संख्या ADFHL7544N तथा AWFGH0875J (बिक्री आय में से) पर टीडीएस के रूप में बिक्री मूल्य का 1% का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और बिक्री मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के रूप में 1% की कटौती के बाद) जमा करेगा, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 15 कार्य दिवसों के भीतर ईएमडी को समायोजित करेगा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे गए किसी अन्य विस्तारित समय के भीतर, अन्यथा अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
सरफेसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत ऋणी/बंधक/गारंटर को एतद्द्वारा **15 दिनों** का वैधानिक नोटिस दिया जाता है। ताकि देयता का पूर्ण निवर्हन किया जा सके और भुगतान किया जा सके। इस नोटिस की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित देय राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा। अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति होने की स्थिति में, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस